**उत्तर प्रदेश शासन**
**राजस्व अनुभाग-1**
**संख्या-7/2023/324/एक-1-2023-रा0-1**
**लखनऊः दिनांकः 16 मई, 2023**

## अधिसूचना

जिलाधिकारी गोरखपुर के पत्र संख्या-582/भू0व्यव-2021, दिनांक 08.03.2021 एवं पत्र संख्या-931/भू0व्य0लि0-2023, दिनांक 06.04.2023 के क्रम में उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा-2 सपठित धारा-101 की उपधारा-2 के परन्तुक में प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल ग्राम मानीराम, तप्पा मराछी चन्दौर जिला गोरखपुर में स्थित चकमार्ग गाटा संख्या-54 रकबा-0.0530 हे0 में से 0.0480हे0 का श्रेणी परिवर्तन करते हुए उसी ग्राम में स्थित आशा एजुकेशनल एण्ड कल्चरल सोसायटी की निजी भूमि गाटा संख्या-17 मि0/0.010हे0 एवं गाटा संख्या-26/0.0380हे0, कुल रकबा-0.0480हे0, से विनिमय की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त भूमियों का श्रेणी परिवर्तन/विनिमय अपरिहार्य परिस्थितियों में संस्था की भूमि के मध्य आ जाने के कारण/सार्वजनिक भूमि की लोकोपयोगिता न रह जाने के दृष्टिगत किया जा रहा है। शासनादेश संख्या-745/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 के प्रस्तर-4(3) में विहित व्यवस्था के अनुसार संस्था से आरक्षित श्रेणी की भूमि के श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि शुल्क निर्धारित लेखा-शीर्षक ''0029-भूराजस्व-800-अन्य प्राप्तियाँ-08-मालिकाना-राजस्व-0806- प्रकीर्ण प्राप्तियाँ'' के नाम जमा कराया जायेगा।

(2) जिलाधिकारी द्वारा आशा एजुकेशनल एण्ड कल्चरल सोसायटी से विनिमय के माध्यम से ग्राम सभा को प्राप्त संस्था की भूमि को चकमार्ग के रूप में दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ताकि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा आदि न हो सके।

(3) लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन तथा विनिमय का आदेश प्राप्त होने पर जिलाधिकारी द्वारा अधिकार अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण किया जायेगा।

(4) जिलाधिकारी कृत कार्यवाही की पूर्ण सूचना शासन तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद को 30 दिन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

आज्ञा से,
सुधीर गर्ग
अपर मुख्य सचिव।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

**<u>प्रतिलिपि संख्या एवं दिनांक तदैव</u>।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. आयुक्त गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
3. जिलाधिकारी, गोरखपुर।
4. श्री रजत यादव, आशा एजुकेशनल एण्ड कल्चरल सोसायटी, 444, तृतीय तल SFS DDA Flats, Sector-22, Dwaraka, New Delhi-110075
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।